कार्यालय प्रबंध निदेशक
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर
जी.पी.एच. कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड, इंदौर

क.प्रनि/पक्षे/01/क.अ./430 इन्दौर, दिनांक - 1 AUG 2018

परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क. प्रनि/पक्षे/स्था/152/6271 दिनांक 09.04.2015 एवं सहपठित परिपत्र कं. 692/20068 दिनांक 06.11.2015, जो कि कंपनी क्षेत्रांतर्गत घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना में मृत/शारीरिक अंगहानि से पीड़ित बाहरी व्यक्तियों को म.प्र. शासन द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–छः कमांक 1 की कण्डिका 5(1)/6(1) एवं यथासंशोधित खण्ड 6 कमांक 4 के अनुसार आर्थिक सहायता राशि प्रदान किये जाने से संबंधित होकर कंपनी में प्रभावशील हैं ।

उक्ताशय के संबंध में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग के पत्र कमांक 1451 /2018/तेरह/ दिनांक 21.02.2018 द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं निर्देश के अनुपालन में कंपनी द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कंपनी में आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों को बाहरी व्यक्ति मानकर कार्य के दौरान अपरिहार्य विद्युत दुर्घटना से प्रभावित होने पर उन्हें भी विद्युत दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों के समान कंपनी के उपरोक्त परिपत्र कं. 152 दिनांक 09.04.2015 एवं सहपठित परिपत्र कं. 692 दिनांक 06.11.2015 में दर्शाई गई निम्नवत् आर्थिक सहायता अनुदान की राशि प्रदान की जावेगी :–

क.	विवरण	राशि
1.	(पांच) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान	रूपये 4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र) प्रतिव्यक्ति
2.	(छः)(1) शारीरिक अंगहानि के लिये आर्थिक सहायता :–	
	अ) जहाँ (40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक विकलांगता हो वहाँ दी जाने वाली अनुदान राशि।	रूपये 59,100/– (रूपये उन्साठ हज़ार एक सौ मात्र) प्रतिव्यक्ति
	ब) जहाँ 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो वहाँ दी जाने वाली अनुदान राशि।	रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) प्रतिव्यक्ति

कंपनी के उक्त परिपत्रों में दर्शाई गई अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी।

आदेशानुसार
-सही-
(मनोज पुष्प)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रतिलिपि :– 15498 - 1 AUG 2018

1 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल ।
2 निदेशक (वाणिज्य), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
3 कार्यपालक निदेशक (इं.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
4 कार्यपालक निदेशक (आयपीडीएस/ऑपरेशन) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
5 मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स/क्रय), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
6 मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., उज्जैन ।
7 मुख्य अभियंता (सिविल) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
8 मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
9 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (कार्य/एमटी/विस/एचटी प्रकोष्ठ) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर।
10 अधीक्षण यंत्री (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
11 अधीक्षण यंत्री (भण्डार) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
12 अधीक्षण यंत्री (सू.प्रौ.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,इन्दौर। उक्त परिपत्र कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करें।
13 अधीक्षण यंत्री (शहर/संचा:संधा/सिविल) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. .... ।
14 संयुक्त सचिव–I, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
15 संयुक्त सचिव–III, केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
16 कार्यपालन यंत्री (शहर/संचा:संधा/एसटीएम/एसटीसी/एमटी/सिविल/भण्डार) संभाग, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., ... ।
17 उप सचिव, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
18 वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर/धार/खण्डवा/देवास/खरगोन/उज्जैन/ रतलाम/मंदसौर ।
19 निज सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।

–की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(मनोज पुष्प)
मुख्य महाप्रबंधक